न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मुकदमा नं0:—46 / 2024 दायर दिनांक 02.05.2024

जीसीएमएस आई0डी0 :—2024 / 119

1.	घनश्याम	पिसरान अतरसिंह जाति जाट निवासी जटवाडा
2.	जगराम उर्फ परशुराम	तहसील सूरौठ जिला करौली ———सायलान

बनाम

1.	कपूरचन्द पुत्र गोपाल		जाति जाट निवासी जटवाडा
2.	रामअवतार	पिसरान कपूर	
3.	रोहताश		तहसील सूरौठ जिला करौली
4.	राजेश		
5.	विक्रम		

6. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील सूरौठ जिला करौली —— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है । जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1264 रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 1265 रकवा 40 ऐयर, खसरा नम्बर 1266

रकवा 38 ऐयर, खसरा नम्बर 1267 रकवा 35 ऐयर, खसरा नम्बर 1271 रकवा 45 ऐयर, खसरा नम्बर 1272 रकवा 65 ऐयर, खसरा नम्बर 1273 रकवा 86 ऐयर, 1274 रकवा 03 ऐयर, 1275 रकवा 29 ऐयर, 1276 रकवा 85 ऐयर, 1277 रकवा 30 ऐयर, 1278 रकवा 26 ऐयर, 1279 रकवा 32 ऐयर, कुल किता 13 कुल रकवा 5.15 है० स्थित ग्राम जटवाडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 तथा 04 के पिता व पति की अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है। उक्त आराजीयात में सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम 1/18 हिस्से का सहखातेदार रहा है और अपनी भूमि पर काबिज व दखील होकर उपयोग उपभोग करता रहा है तथा उक्त आराजीयात में मनबंटनी के अनुसार सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 के पिता व पति के हिस्से की भूमि में वह खसरा नम्बर 1266 पर काबिज व दखील होकर काश्त करता रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम का देहांत हो गया है तथा सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 उसके विधिक वारिस हैं और उसके तर्क पर काबिज व दखील होकर अर्थात आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र की आराजीयात में मनबंटनी के अनुसार अतरसिंह के हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 1266 पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, जिससे गैरसायल नम्बर 01 ता 05 का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम की मृत्यु होने के बाद सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 ही उसके विधिक वारिस होने से आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में अतरसिंह

के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में अपनी खातेदारी दर्ज कराने के कानूनी अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान अपने कार्य व व्यवसाय से बाहर रहने के कारण मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 ने गैरसायल नम्बर 01 ता 05 से साज कर लिया है और वह अतरसिंह की मृत्यु के उपरान्त व सायलान के बाहर रहने के कारण उक्त भूमि से सायलान को उनके हिस्से से मेहरूम करने की गरज से बसाज गैरसायल नम्बर 01 ता 05 उक्त भूमि पर नाजायज व अवैध रूप से निर्माण कराकर कब्जा कराने की फिराक में हैं। जिस पर आए दिन गैरसायल नम्बर 01 ता 05 मौके पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 28.04.2024 का है कि सायलान अपने पिता से प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 1266 की देखभाल कर रहे थे कि इतने में ही मौके पर गैरसायल नम्बर 01 ता 06 आए और मजदूरों से भूमि पर पत्थर के खण्डे डलवाने लगे तो सायलान ने मना किया कि इस जमीन पर तुम खण्डे क्यों डलवाना चाहते हो तो गैरसायलान ने कहा कि इस जमीन पर हम निर्माण करेंगे तो सायलान ने कहा कि यह जमीन तो हमारी है, इससे तुम्हारा कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है तो गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और कहा कि जमीन में तुम्हारा अभी नाम भी नहीं है, तुम हमें नहीं रोक सकते, इस जमीन से हम तुम्हें जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काफी समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए, इस पर सायलान ने मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 से उक्त दिनांक को सम्पर्क कर उक्त भूमि में विरासत का नामांतकरण खुलवाकर खातेदारी दर्ज कराने के लिए कहा तो मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 भी गैरसायल नम्बर 01 ता 05 से साज होने के कारण इन्कार हो गये। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार दृष्य से संभव नहीं

होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा गैरसायल नम्बर 01 ता 05 को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 1266 रकवा 38 ऐयर स्थित ग्राम जटवाडा में सायलान के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करावें, सायलान को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना ही कोई निर्माण करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान व हक हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.07.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.01 है0, 1265 रकबा 0.40 है0, 1266 रकबा 0.38 है0, 1267 रकबा 0.35 है0, 1271 रकबा 0.45 है0, 1272 रकबा 0.65 है0, 1273 रकबा 0.86 है0, 1274 रकबा 0.03 है0, 1275 रकबा 0.29 है0,

1276 रकबा 0.85 है0, 1277 रकबा 0.30 है0, 1278 रकबा 0.26 है0, 1279 रकबा 0.32 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 5.15 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ में सायलान व मूल दावे के प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम हि0 1/18 के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि उक्त विवादित आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा खातेदारों के द्वारा आपसी सहमति से किया हुआ है तथा बाहमी बंटवारा में आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.38 है0 सायलान व मूल दावे के प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम के हिस्से में आयी है। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.01 है0, 1265 रकबा 0.40 है0, 1266 रकबा 0.38 है0, 1267 रकबा 0.35 है0, 1271 रकबा 0.45 है0, 1272 रकबा 0.65 है0, 1273 रकबा 0.86 है0, 1274 रकबा 0.03 है0, 1275 रकबा 0.29 है0, 1276 रकबा 0.85 है0, 1277 रकबा 0.30 है0, 1278 रकबा 0.26 है0, 1279 रकबा 0.32 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 5.15 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ में सायलान व मूल दावे के प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम हि0 1/18 के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध या वास्ता किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। विवादित आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा खातेदारों के द्वारा आपसी सहमति से किया हुआ होना तथा बाहमी बंटवारा में आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.38 है0 सायलान व मूल दावे के प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता व पति अतरसिंह पुत्र गोपीराम के हिस्से में आना सायलान ने अवगत कराया है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। सायलान बाहमी बंटवारा में प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ

के बाबत् गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कराना चाहते हैं। इस प्रकार सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली